Fourteenth Loksabha

Session : 9
Date : 18-12-2006
Participants : Reddy Shri Suravaram Sudhakar,Pachauri Shri Suresh,Pachauri Shri Suresh,Tripathy Shri Braja Kishore

an>

Title: Discussion on the motion for consideration of the Administrative Tribunals (Amendment) Bill, 2006 as passed by Rajya Sabha (Motion Adopted and Bill Passed).

MR. SPEAKER: It has been agreed by the House that Item No. 42, namely, The Administrative Tribunals (Amendment) Bill will be taken up now.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: I think that it can be passed without discussion. There is a request to pass it without discussion.

… (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): No, Sir.

MR. SPEAKER: Do you want to speak on the Administrative Tribunals Bill? You were not present in the House, and there was a consensus in the House on this issue.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI): Sir, we have no objection if somebody wants to speak on this Bill. There is only a minor amendment in it.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI SURESH PACHOURI): I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Administrative Tribunals Act, 1985, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 323(ए) के अनुसरण में संसद ने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट, 1985 बनाया है। इस एक्ट में केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों अथवा किसी लोकल या किसी अन्य अथौरिटी के सिविल कर्मचारियों के सेवा मामलों से जुड़े विवादों का निर्णय देने और सुनवाई के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना का प्रॉवीजन किया गया था। तदनुसार, केन्द्र सरकार और केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन नोटीफाइड कॉर्पोरेशन्स अथवा निकायों के कर्मचारियों के सेवा संबंधी विवादों में निर्णय देने के लिए दिनांक 28-09-1985 को भारत संघ द्वारा सेंट्रल एडमिनस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी।

एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सिविल कर्मचारियों को तत्परता से न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से गठित किए गए थे और मुझे यह बताते हुए संतोा है कि उन अपेक्षाओं को पूरा किया गया है जिन्हें पूरा करने के लिए इनकी स्थापना की गई थी। दिनांक 1-11-1985 से 31-10-2006 की अवधि के दौरान सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में 482579 मामले इंस्टीट्यूट किए गए और 458059 मामलों का निपटान कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट, 1985 के लागू करने के समय से ही सक्षम और योग्यताप्राप्त व्यक्तियों को आकर्ति करके एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के स्तर को ऊंचा उठाने की आवश्यकता समय-समय पर महसूस की गई। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स द्वारा दिए गए निर्णयों/आदेशों की गुणवत्ता के बारे में न्यायपालिका ने समय-समय पर टिप्पणियां भी की गई हैं।

महोदय, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट, 1985 में सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ा उस समय रखी गई थी जब सरकारी कर्मचारियों की आयु 58 वर्ा तय थी। तदनुसार, जब सेवानिवृत्त सरकार कर्मचारी, ट्रिब्यूनल के सदस्य के रूप में नियुक्ति किए जाते थे तो उनका कार्यकाल सामान्यतया चार वर्ा का होता था। अब सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 60 वर्ा कर दी गई है। अतः अब सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाले सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों का मात्र दो वर्ा का कार्यकाल शेा रह जाता है। इन सब बातों को दृटिगत रखते हुए सेवानिवृत्त वरिठ सरकारी सेवकों के लिए सदस्य के पद पर नियुक्ति उतनी आर्काक नहीं रही। [r18]

इस समय पांच वर्ा के लिए नियुक्त सदस्य अगले पांच वर्ा की कार्यावधि के लिए पात्र हैं, परन्तु पुनः नियुक्ति के लिए उनके नाम पर विचार किये जाने से पहले उनकी समूची जो चयन प्रक्रिया है, उससे पुनः गुजरना होता है। इस बारे में अनिश्चितता भी इन नियुक्तियों के मामले में एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। पांच वर्ाों के लिए उनका कार्यकाल और बढ़ाने के प्रावधान से यह अनिश्चितता समाप्त हो जायेगी और इससे योग्य, अनुभवी, सक्षम व्यक्ति ट्रिब्यूनल्स की तरफ आकर्ति होंगे। वस्तुतः माननीय उच्चतम न्यायाल ने सम्पत कुमार बनाम भारत सरकार के मामले में इस सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की थी और यह सुझाव दिया था कि जब कभी भी इस अधिनियम में संशोधन लाया जाये तो मामले के इस पहलू पर भी विचार किया जाये कि जो समूची चयन प्र ाक्रिया है, उसके लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध हों। प्रस्तुत विधेयक प्रमुख रूप से सैण्ट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में एपाइंटमेंट्स को और अधिक आर्काक करने की दृटि से तैयार किया गया है, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में अधिक प्रतिभासम्पन्न, अनुभवी, वरिठ और उपयुक्त अधिकारियों को आकर्ति किया जा सके। इस उद्देश्य को दृटिगत रखते हुए और ध्यान में रखते हुए इस ि वधेयक में सदस्यों की जो सेवानिवृत्ति की मौजूदा आयु 62 वर्ा से बढ़ाकर 65 वर्ा करके उनकी सेवा शर्तों में सुधार करके और उनकी अन्य सेवा शर्तों में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा शर्तों के समान किये जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा इस ि वधेयक में 65 वर्ा की आयु सीमा के अध्यधीन सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ाों तक और बढ़ाने का प्रावधान है। ट्रिब्यूनल्स का काम-काज कुशलता से हो सके, इसके लिए यह भी आवश्यक है कि ट्रिब्यूनल्स के अध्यक्षों का कम से कम पांच वर्ा का स्थिर कार्यकाल होना चाहिए। इस समय अध्यक्ष की नियुक्ति उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीशों में से की जाती है। अतः उनका कार्यकाल काफी थोड़ा होता है। इस विधेयक के प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य सदस्यों की श्रेणी में अधिक उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति और अध्यक्ष के स्तर पर स्थिर कार्यकाल का प्रावधान करना है। इन संशोधनों को भावी प्रभाव से लागू करने का प्रस्ताव है, क्योंकि मौजूदा सदस्यों को इनसीटू आधार पर सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा देने से इन संशोधनों का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा, क्योंकि मौजूदा संशोधनों का उद्देश्य उच्च योग्यता प्राप्त तथा अनुभवी, वरिठ व्यक्तियों को आकर्ति करना है। तथापि मौजूदा अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों के मौजूदा कार्यकाल को समाप्त होने और उनके द्वारा निर्धारित आयु सीमा प्राप्त किये जाने तक, जैसा भी मामला हो, प्रोटैक्शन दिया जायेगा। अपने मौजूदा कार्यकाल के पश्चात वे दूसरे उम्मीदवारों के साथ कम्पीट कर सकते हैं और इस अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के अधार पर उनकी नये सिरे से नियुक्ति के लिए योग्यता के आधार पर चयन किया जा सकता है।

महोदय, मुझे विश्वास है कि विधेयक लागू हो जाने पर ट्रिब्यूनल के सदस्यों के रूप में प्रतिभासम्पन्न, अनुभवी और उ पयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति का मामला खुल जायेगा और इससे ट्रिब्यूनल के काम-काज में और कुशलता आयेगी

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को सदन में विचार करने के लिए पेश करता हूं।

SHRI GURUDAS DASGRUPTA (PANSKURA): Sir, I have question to the hon. Minister. Is the hon. Minister looking for raising the retirement age to 65 years? Mr. Minister, are you going to

increase the retirement age to 65 years from 62 years? …(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :आप थर्ड रीडिंग में पूछिये। Good people are not forthcoming.

श्री सुरेश पचौरी:माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक ट्रिब्यूनल्स के मैम्बर का प्रश्न है, उनकी जो आयु सीमा62 वर्ा है, उसे बढ़ाकर 65 वर्ा करने का प्रावधान है और चेयरमैन के लिए 65 वर्ा से 68 वर्ा करने का है, क्योंकि यदि हम दूसरे ट्रिब्यूनल्स देखते हैं, जैसे कंज्यूमर प्रोटैक्शन ट्रिब्यूनल है, उसमें चेयरमैन की आयु 70 वर्ा है और मैम्बर की आयु भी 70 वर्ा है। नेशनल एनवायर्नमेंट ट्रिब्यूनल में चेयरमैन की आयु 70 वर्ा है और मैम्बर की आयु 62 वर्ा है। नैशनल टैक्स ट्रिब्यूनल में चेयरमैन की आयु 68 वर्ा और मैम्बर की आयु 65 वर्ा है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में चेयरमैन की आयु 70 वर्ा और मैम्बर की आयु 65 वर्ा है। मान्यवर, यह इसलिए किया गया है कि पहले जो शासकीय अधिकारी 58 वर्ा की उम्र में रिटायर होते थे, अब वह आयु 60 वर्ा हो गई है। पहले 62 वर्ा की रिटायरमेंट एज मैम्बर की होती थी। [R19]

अब जब साठ वर्ा की आयु में शासकीय अधिकारी रिटायर होते हैं, तो उन्हें मात्र दो वर्ा मिल रहे हैं। दूसरी बात, ट्रिब्यूनल में चेयरमैन की आयु क्या रखी गयी है, मेंबर्स की आयु क्या रखी गयी है, इसे देखते हुए और आज शासकीय अधिकारी की जो सेवानिवृत्ति की आयु है, जो 58 वर्ा से बढ़ाकर 60 वर्ा की गयी है, उसे ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

MR. SPEAKER: There is no proposal to reduce the retirement age. That is the problem.

The question is:

"That the Bill further to amend the Administrative Tribunals Act, 1985, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. SPEAKER: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 to 15 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 15 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and theLong Title were added to the Bill.

श्री सुरेश पचौरी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

" कि विधेयक पारित किया जाए। "

MR. SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill be passed."

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY (PURI): This is a simple legislation and I do not have anything to object. But I want to know only one thing. The post of Vice-Chairman is being abolished. The Minister apprised that more than four lakh cases are pending for disposal, which is under the purview of this Act. But I would like to know from the hon. Minister whether the Government will consider increasing the number of members of the Tribunal so that the cases can be disposed of quickly.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : I have the same point. Cases are pending in very large numbers. What does the Government propose to do? We have understood the point.

MR. SPEAKER: You can ask the Tribunals. Crores of cases are pending in the courts.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : My point is either they have more Benches in the Tribunal or they should ensure that fast track judgments are given in the cases involving this Tribunal.

MR. SPEAKER: That will encourage more cases.

SHRI BASU DEB ACHARIA : My experience is that there are a large number of cases pending and there are a large number of vacancies also. When the Central Administrative Tribunal was set up to provide expeditious justice to the aggrieved employees, what is happening? Whenever there is a judgment in favour of an employee, then the Government or the Department or the Ministry prefers an appeal in the higher court. I have seen this in each and every case; whenever there is a favourable judgment in regard to some employees, each time, it prefers an appeal, and that remains pending for years together. The employee does not get justice.

MR. SPEAKER: You cannot prevent anybody from going in appeal.

SHRI BASU DEB ACHARIA : The purpose was to provide expeditious justice to the aggrieved employee, but that is not happening. That is our experience. I would like to know from the hon. Minister what improvement it proposes to take in regard to functioning of Central Administrative Tribunal as well as implementation of the judgment of the Tribunal.

SHRI SURAVARAM SUDHAKAR REDDY (NALGONDA): As I understand, according to the amendment, the post of Vice-Chairman is going to be abolished. I would like to know why it is to be abolished and in that case, who will preside over the Tribunal in other areas. In that case, there will be only one Chairman for the whole country.

SHRI SURESH PACHOURI: As far as the post of Vice-Chairman is concerned, I would like to make it clear that it is proposed to enhance the retirement age of members from 62 years to 65 years. Further, to make the office of members more attractive to prospective candidates, it is also proposed to enhance the Service Conditions of the members to those of sitting Judges of the High Court. This will make the Service Conditions of the Vice-Chairman and that of the members, same. Hence, it is not necessary to continue with the post of Vice-Chairman separately.

However, amongst the members, certain members would be designated as Vice-Chairman to perform financial and administrative functions, as may be delegated by the Chairman. They would also be paid Rs.1000 per month to do the job of Vice Chairman which would be given for the administrative and financial work in the capacity of Vice Chairman.

दूसरा प्रश्न था कि कितने प्रकरण लंबित थे ? मैं बताना चाहूंगा कि यदि पुराने कार्यकाल से अभी तक हम ग्राफिकल पोजीशन देखें, तो पैंडेंसी की संख्या में ग्राफिकल पोजीशन डाउनवर्ड्स हो रही है। अभी तक लगभग 25 हजार केसेज पैंडिग हैं। इसके बाद प्रश्न यह था कि क्या हम और भी ज्यादा बेंचिज पर विचार कर रहे हैं?

मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि ज्यादातर मैम्बर्स जो सलैक्ट होते हैं, वन टू वन रेशियो में एडमिनिस्ट्रेटिव और ज्यूडिशियल मैम्बर्स सलैक्ट होते हैं। मैंने अभी निवेदन किया कि अभी लोगों का ज्यादा रूझान मैम्बर बनने में नहीं है., क्योंकि मैम्बर्स को जितनी फैसीलिटीज दी जानी चाहिए, उतनी नहीं दी गयी। अब हाई कोर्ट जज के समकक्ष उन्हें बनाया गया है। जो एडीशनल सैक्रेट्री और सैक्रेट्री के रूप में आफिसर्स काम करेंगे, उनकी सेवा-शर्तों को बेहतर बनाने की दृटि से उनका समावेश इसमें किया जाये। पहले ज्वाइंट सैक्रेट्री लैवल के आफिसर्स लेते थे, लेकिन अब एडीशनल सैक्रेट्री और सैक्रेट्री लैवल के आफिसस ले रहे हैं। इसके साथ-साथ मैम्बर्स को भी हाई कोर्ट के जज के समकक्ष बना रहे हैं। इसलिए उसे हमने ज्यादा आर्काक बनाया है।

MR. SPEAKER: More retired judges will come now.

श्री सुरेश पचौरी : मान्यवर, लॉस्ट प्वाइंट यह है कि हम लोग वैकेन्सीज को भरने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? यह एक लैंथी प्रोसीजर है। यद्यपि सरकार की तरफ से वैकेन्सीज भरने के लिए प्रॉमम्ट एक्शन लिया जा रहा है, छः माह के अंदर हम लोग वैकेन्सीज निकालकर नाम आमंत्रित करते हैं, लेकिन सलैक्शन का प्रौसेस काफी लम्बा है। उसमें हम लोगों को चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन करना होता है। उसकी मीटिंग होती है, जिन लोगों के आवेदन आते हैं, उनके ट्रेडीशन्स वगैरह की जांच करनी होती है। उसमें थोड़ा समय लगता है।

जहां तक बेंचिज का प्रश्न है, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि दिल्ली के अलावा दूसरी बेंचिज में ज्यादातर मैम्बर के रूप में, चाहे ज्यूडिशियल साइड के मैम्बर हों या एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के मैम्बर्स हों, उनका जाने में उतना रूझान नहीं रहता। लेकिन जब हम स्टेटस बढ़ा रहे हैं और सर्विस कंडीशन्स बढ़ा रहे हैं, तो रूझान भी बढ़ेगा। मैं नहीं सोचता कि अब कोई दिक्कत आयेगी।

MR. SPEAKER: Let us hope for the best.

The question is:

"That the Bill be passed.

The motion was adopted.